



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून
लेन नं० 3, भवन संख्या-23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

E-mail: ukmssbdun@gmail.com, Website: www.ukmssb.org, Phone: 0135- 2665366

विज्ञापित- 11/2026

दिनांक: 31 मार्च, 2026

—:अंतिम परीक्षा परिणाम:—

उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा
अधिकारी के रिक्त 287 पदों (बैकलॉग पदों सहित) का अन्तिम परीक्षा परिणाम

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2025-26/784, दिनांक 13 नवम्बर 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी के रिक्त 287 (बैकलॉग पदों सहित) पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक दिनांक 19 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक अर्ह अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित की गई।

बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल अंकों, जिसमें मौखिक परीक्षा (Viva) तथा एम0बी0बी0एस0 परीक्षा, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता, तथा अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक सम्मिलित है, के आधार पर रिक्तियों की संख्या के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची (Merit List) श्रेणी/उप श्रेणीवार तैयार की गई है। श्रेष्ठता सूची में ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए अन्तिम परीक्षा परिणाम पत्र संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2025-26/277, दिनांक- 31 मार्च, 2026 तथा अभिलेख सत्यापन में वांछित अर्हता धारित न करने या अन्य कारणों से अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2025-26/276, दिनांक- 31 मार्च, 2026 द्वारा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है।

नोट- मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 531/2025 (एस0बी0) मनोज कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेशों, रिट याचिका संख्या 390/2026 (एस0एस0) इन्द्रजीत सिंह चरण बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 तथा रिट याचिका संख्या 534/2025(एस0बी0) डा0 वाशु अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित तीनों याचिकाकर्ताओं का परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखा गया है तथा जारी किये गये परीक्षा परिणाम में उक्त याचिकाकर्ताओं के अंक प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव